



### सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) की घारा-37 (2) के अधीन माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 07.05.2024 के अनुपालन में चौथरी बटी प्रसाद शीताराम महाविद्यालय, रसड़ा बिल्सहरपाट, पूरा बाजार, अयोध्या के स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी०१० (हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, प्राचीन इतिहास, शिलाशास्त्र विषयों) तथा स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी०११-सी० (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान विषयों) पाठ्यक्रम को स्वयित्तपोषित योजनानामंत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2022-23 से स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

1. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या- 2851/सत्तर-2-2003-15(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उत्तिष्ठित सुरांगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर अन्य सुरांगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था/महाविद्यालय कुलसंचित को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्त महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार-कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी ऐबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
6. प्रत्येक वर्ष AISHE के PORTAL पर DCF-II से सम्बन्धित सूचनाएं अपलोड करना अनिवार्य होगा।
7. गा० उच्च म्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या- 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/ 2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
8. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुरांगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या- 421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011, दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
10. संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

मध्यदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं खात्रशक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्धक, चौथरी बटी प्रसाद शीताराम महाविद्यालय, रसड़ा बिल्सहरपाट, पूरा बाजार, अयोध्या।
2. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या।
3. गिरी राधिका कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।

कुलपति  
कुलपति जी

कुलसचिव